

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) इतिहास के निम्नांकित कार्मिक का स्थानान्तरण/ संशोधन उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है-

क्रमांक-शिविर-माध्य/संख्या/सी-2/स्थानान्तरण/इतिहास/2019-20

दिनांक-29.09.19

क्रम	नाम कार्मिक श्री/ श्रीमती/ चुप्री	Subject	कहाँ से स्थानान्तरण/राउडमार्गि		जिला	कहाँ को राउडमार्गि/राबाउडमार्गि		जिला
			1	2		3	4	
1	अनिला कुमारी	hist	फरासपुर-धौलापुर से स्थानान्तरणाधीन रा.प. इतिहासगिया पिपराली के स्थान पर	sikar	श. कल्याण सिंह राउडमार्गि खूझ-दातारामगढ़		sikar	
2	महेन्द्र सिंह ईटावा	hist	श्रीमती गोरी देवी छौधरी राउडमार्गि बगवारा से स्थानान्तरणाधीन भीलो का हाथला के स्थान पर	barnier	लालवास-ज. रामगढ़			jaipur
3	कैलश चन्द छौधरी	hist	सिरस		tonk	मण्डावर-टॉक		tonk
4	दया शंकर अग्रवाल	hist	बाढ़ण-फतेहपुर	sikar	baba narayan das saiwad-shahpura			jaipur
5	सुरेश चन्द खाती	hist	baba narayan das saiwad- shahpura	jaipur	डरपुर-सरवाड़			ajmer
6	टीका शम भीणा	hist	हालीबाड़ा सिरोही	sirohi	बा. रैणी			alwar
7	मोहन लाल भीणा	hist	रायपुर-पाटन से स्थानान्तरणाधीन खारिया नीर-पाली के स्थान पर	sikar	शहीद हरियाल यादव उमारी झकराना- बहरोड़			alwar
8	ANITA KUMARI GUARNIA	hist	TAPIPLYA से स्थानान्तरणाधीन कोट बालियान-बाली पाली के स्थान पर	SIKAR	बा. रायपुर			PALI
9	Mahendra singh garhwal	hist	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL, REENGUS,NP REENGUS_WARD NO.	SIKAR	कलबकलां-रायपुर			PALI

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। क्रम संख्या 5, 8 तथा 9 पर अंकित कार्मिकों को नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भल्ता देय होगा। जिन कार्मिकों का परीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है, उन्हें कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें। RVRIES कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद्/नगर भालिका/ शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें। लम्बे समय से अनुपस्थित/ निलम्बित/ कोर्ट स्थगन कार्मिकों को उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें एवं निदेशालय को सूचित कर आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के बाद ही नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावें। एम.एड. योग्यताधारी कार्मिकों को ही डाइट में कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण करवाया जावें। पद विलङ्घ वरिष्ठ अध्यापक कार्यस्त होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबोधित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा कार्यालय में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/ कार्यमुक्ति आवश्यकरूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावें।


(नियमित डिफेल)

बा. रायपुर
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक-29.09.2019

क्रमांक-शिविर-माध्य/संख्या/सी-2/स्थानान्तरण/इतिहास/2019-20

- ३ शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-२)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- ४ सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक
- ५ सम्बन्धित मुख्य छाँड़ के शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्धित कार्मिकों के, नियमानुसार
- ६ कार्यग्रहण / कार्यमुक्ति की कार्यवाही तीन दिवस के भीतर सम्पादित करवाकर निदेशालय को प्रगति देवें।
- ७ सम्बन्धित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावें।
- ८ सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण / कार्यमुक्ति आवश्यकरूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावें।
- ९ अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण की प्रभावी मोनिटरिंग
- १० सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु
- ११ सम्बन्धित कार्मिक
- १२ रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
दीकानेर